न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 025/2019 (GCMS 2019/00106)	दायर दिनांक 08.07.2019	निर्णय दिनांक 13.07.2022

उनवान

सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें–जोन उदयपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री सम्पतलाल पुत्र कन्हैयालाल न्याति, विक्रेता मैसर्स कृष्णा मेडिकल एजेन्सी 1–B, अम्बे नगर, चित्तौड़गढ़ स्थायी पताः– 13 अम्बेश्वरी कॉलोनी नगरपालिका कॉलोनी के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

2–श्रीमति रेखा पत्नि नरेशचन्द्र न्याति मालिक मैसर्स कृष्णा मेडिकल एजेन्सी 1–B, अम्बे नगर, चित्तौड़गढ़ स्थायी पताः– 13 अम्बेश्वरी कॉलोनी नगरपालिका कॉलोनी के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

3–मैसर्स कृष्णा मेडिकल एजेन्सी, 1–B, अम्बे नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

4–श्री राजाराम श्रीराम सामन्त डायरेक्टर M/s Akumentis Health care Ltd. B-69 दिनेश प्लाजा कॉम्पलैक्स रोड़ नम्बर–5 बाईस गोदाम, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राज.) M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034 स्थायी पताः–20 B-602 CAVINA HIRANANDANI ESTATE, GHODBANDAR ROAD, PATLIPADA, THANE (W) MAHARASTRA

5–श्रीमति उज्जवला राजाराम सामन्त डायरेक्टर M/s Akumentis Health care Ltd. B-69 दिनेश प्लाजा कॉम्पलैक्स रोड़ नम्बर–5 बाईस गोदाम, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राज.) M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034 स्थायी पताः–20 B-602

CAVINA HIRANANDANI ESTATE, GHODBANDAR ROAD, PATLIPADA, THANE (W) MAHARASTRA

6—M/s Akumentis Health care Ltd. B-69 दिनेश प्लाजा कॉम्पलैक्स रोड़ नम्बर–5 बाईस गोदाम, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राज.) M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

7—Abhay Kumar Pandey, B-1601, Lodha, Bellissimo. N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi Mumbai-400111, Nominee Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

8—Rajaram Shriram Samant 20 B-602 CAVINA HIRANANDANI ESTATE, GHODBANDAR ROAD, PATLIPADA, THANE (W) MAHARASTRA Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

9—Manmohan Singh, E2-16 FF, Block E2 Shastri Nagar Delhi 110052 DL In Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

10—Allen Dass 507, Bhai Parmanand Colony, West Kings Way Camp, Delhi-110009 DL (IN) Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

11—Arvind Kumar D2/A-58, South Moti Bagh, Nanakpura, Chanakyapuri, S.O, Delhi-110021 DL (IN) Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

12—Renu Sharma House No. C 32-A Phase-I, Budh Vihar, Nithari Sultanpuri, C-Block, Delhi 110086 DL (IN) Director M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

13—Ganesh Ramachandran, 18, Murali Road No.1 Pestom Sagasr Chembur Mumbai 400089 MH IN CFO (KMP) M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

14—M/S Akumentis Health care Ltd. (Corp off.) 204, 5th Floor, G Corp Tech Park Kasarvadavali, Near Hypercity, Ghodbander Road, Thane (West) 400615, Maharashtra M/S Akumentis Health care Ltd. (Regd. off.) 206, Second Floor, Plot No. 6, L.S.C. Garg Plaza, Sainik Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

15—Parveen Soni 555,IInd Floor, Pocket-6, Sector-2 Rohini Delhi 110085 DL IN Additional Director M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

16—Khyali Dutt C-6, Subhash Nagar, Jwalapur Haridwar Uttarakhand 249407 UR IN (Whole Time Director) M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

17—Dheeraj Kumar Arora L-16, Second Floor, Sriniwaspuri Delhi 110065 DL IN (Director) M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

18—Neena Vivek H-1/135-136 3rd Floor Sector-16 Rohini Delhi 110085 DL IN (Director) M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

19—Akansha Arya 227, Jaipur House Colony, Jaipur House, Sahahaganj, Agra-282010, U.P. (IN) (Director) M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

20—M/S Maxcure Nutravedics Ltd. (Plant-1), Plot No. 13 Sec.6A, I.I.E., Sidcul Ranipur, Haridwar-249403 (U.K.) Regd. Office B-7, Laxmi Towers, LSC, C-Block, Saraswali Vihar, Delhi-110034

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— 1—पैरोकार सरकार
2—श्री सुरेन्द्र नाथ योगी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3
3—श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 से 17

—:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::—

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(**ii**) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2016 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें–जोन उदयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/FSSA/Notification/2011/727 Dated 29-11-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर आवंटित किया गया था और अधिसूचना क्रमांक/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2012/37 दिनांक 09.01. 2012 के अनुसार उदयपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2016 को समय 05.00 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा मेडिकल एजेन्सी, 1–B, अम्बे नगर, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। विक्रेता को अपना परिचय पत्र दिखाकर नाम पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री सम्पतलाल पुत्र कन्हैयालाल न्याति होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष–2016 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर Health Supplement (Starmune Gold Syrup) की 200 मिली वाली 17 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड, अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड का शक होने पर, विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए पर उक्त Health Supplement (Starmune Gold Syrup) की 200 मिली के 12 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए, उक्त Health Supplement (Starmune Gold Syrup) की 200 मिली की 12 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदी तथा इनकी कीमत 1158 रू. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता द्वारा बिल भी प्रस्तुत किया गया, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के

साथ मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय की गई 12 बोतलों Health Supplement (Starmune Gold Syrup) पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद खरीद संबंधी M/s Akumentis Health Care Ltd., CFA. R.B. Distributor, P. No. 28, Sharma Colony, Extension, Bais Godam, Ind. Estate, Tehsil Jaipur, Dist. Jaipur 302006 द्वारा जारी इनवाइस नं. JAI4607 दिनांक 09.09.2016 प्रस्तुत किया। इन खरीदशुदा 12 बोतलों को 4 भागों में बांटा तथा प्रत्येक भाग में Health Supplement (Starmune Gold Syrup) की 200 मिली के तीन बोतल सील्ड स्थिति में रखी फिर इन चारों भागों पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) के कोड व सिरीयल नम्बर AF-861 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान, किस वस्तु का नमूना लिया आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को मोटे व मजबूत कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप संख्या AF-861 प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के मुँह पर, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना भाग की बॉडी पर, (जहाँ धागे की गांठ लगाई थी) लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चारों सील बन्द नमूना भागों पर विक्रेता के इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर दोनों पर आवे एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक सील बन्द नमूना भाग पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए व चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान हो पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए। फार्म नं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नं. 5ए व फर्द रिपोर्ट मूल ही न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जमा करवा कर फार्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। फार्म नं. 6

की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जमा करा कर इसकी रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउट कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति के आउटरकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन उदयपुर के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2003 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल एस 558/Act/2016/581 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Health Supplement (Starmune Gold Syrup) के लेबल पर Violation of Regulation 2.3.1(5), एवं 2.2.2(2) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत मिस्ब्राण्ड होना पाया गया है। उक्त पत्रांक एवं जांच रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें जोन उदयपुर के पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016/2002 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता को एवं पत्रांक 2052 दिनांक 21.11.2016 द्वारा थोक विक्रेता को एवं 226 दिनांक 29.01.2018 से मार्केटेड कम्पनी को एवं 2046 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा निर्माता कम्पनी को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्ठांकित प्रति रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं। यह कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उक्त माल संबंधी खरीद बिल के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पत्रांक 1788 दिनांक 26.09.2016 द्वारा M/s Akumentis Health Care Ltd., CFA. R.B. Distributor, P. No. 28, Sharma Colony, Extension, Bais Godam, Ind. Estate, Tehsil Jaipur, Dist. Jaipur 302006 को फॉर्म 5ए की प्रति भिजवाई गई जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। प्रकरण से संबंधित आवश्यक अनुसंधान कर विक्रेता, थोक विक्रेता, मार्केटिंग विक्रेता एवं निर्माता फर्म वाणिज्य कर अधिकारी, जयपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक जयपुर को दिए पत्र एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर की प्रति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पत्र एवं अभिहित अधिकारी के पत्र की प्रति Ministry of Corporate Affairs (Govt. of India)

की वेबसाईट से प्राप्त Signatory Details/Director की सूची की प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर को दिनांक 06.02.2019 को प्रस्तुत की एवं अभिहित अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1079 दिनांक 31.05.2019 से उक्त प्रकरण में अभियोजन समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जन. स्वा. चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जयपुर को पत्र लिखा जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय द्वारा अपने पत्रांक/ जोन/एफएसएसए/2019/ 1293 दिनांक 02.07.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ Health Supplement (Starmune Gold Syrup) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, उदयपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा गवाह संख्या 2 प्रेमशंकर पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा निवासी अरनिया पंथ पोस्ट शम्भूपुरा (मौका गवाह) गवाह संख्या 3 देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 4 पंकज कुमार खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (नमूना जांचकर्ता) गवाह संख्या 5 डॉ. मंजू अग्रवाल अभिहित अधिकारी, संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर (पेपर स्लिप जारीकर्ता) एवं गवाह संख्या 6 डॉ. संजीव टांक, अभिहीत अधिकारी, संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उदयपुर (न्यायनिर्णयन आवेदन हेतु प्राधिकृतकर्ता) पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र नाथ योगी ने अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 15 से 17 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पुरी गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 4 से 14 तथा 18 से 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 4 से 14 तथा 18 से 20 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा 15 से 17 ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन करने पर बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 15 से 17 सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिक्ता ने कथन किया कि जांच के दौरान जो नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है उसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उक्त खाद्य पदार्थ उनके द्वारा मैन्यूफेक्चर नहीं किया गया है इसके लिए निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर निर्माता कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 से 17 ने मौखिक तौर पर परिवाद को स्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये हैं यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी होकर अब अप्रार्थीगण की उक्त फर्म बन्द हो चुकी है। यह अप्रार्थीगण का प्रथम दोष है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर आज ही प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत दस्तावेज क्रमांक 2 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 व 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Health Supplement (Starmune Gold Syrup) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी

पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 19.09.2016 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.09.2016 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Health Supplement (Starmune Gold Syrup) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) संभाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-861** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 88 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, उदयपुर के द्वारा स्वयं आउटर कवर में सील बन्द नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AF-861** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 20.09. 2016 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय, उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2002 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1), पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016/2052 दिनांक 21.11.2016 से थोक विक्रेता को एवं पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2018/226 दिनांक 29.01.2018 से मार्केटिंग कम्पनी को तथा पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/2046 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा निर्माता कम्पनी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 558/ACT/2016/581 Dated 14-10-2016** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र

रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 558/ACT/2016/581 Dated 14-10-2016** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ Health Supplement (Starmune Gold Syrup) का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 88 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 29.09.2016 से 14.10.2016 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Health Supplement (Starmune Gold Syrup) bearing code no. and serial no. AF-861 of Designated officer (Food Safety) Zonal level Designated officer cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, Zone, Udaipur is Misbranded Food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सम्भाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-861** चस्पा की गई Health Supplement (Starmune Gold Syrup) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2002 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1) को, पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016/2052 दिनांक 21.11.2016 से थोक विक्रेता को, पत्रांक/ जोन/एफएसएसए/ 2018/226 दिनांक 29.01.2018 से मार्केटेड कम्पनी को एवं पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/2046 दिनांक 27.11.2017 से निर्माता कम्पनी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहीत अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को जरिये पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2019/1079 दिनांक 31.05.2019 से लिखा गया जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक/ एफएसएसए/स.सी./2019/551 दिनांक 25.06.2019 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 31.07.2019 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई। इस पर अभिहित अधिकारी

संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर द्वारा पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2019/1293 दिनांक 02.07.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 16 से 18 होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 से 17 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (Misbranded) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान हैं। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 20 को संयुक्त रूप से राशि 100000/– अक्षरे एक लाख रूपये कुल 105000/– अक्षरे एक लाख पांच हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़